विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 241/विमा/संसदीय/106(स)/2016
लखनऊ, हिंसांक 03 मार्च, 2017

अभिसूचना

प्रकृति

श्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (रत्न परिवर्तन के आधार पर निर्देश) निम्नानुसार, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत मान्यता अवधि, विधान सभा के विचारार्थ श्री विजय बहादुर यादव, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विलुप्त विनियम 04 जुलाई, 2016 को दायर की गई याचिका पर मान्यता अवधि, विधान सभा द्वारा विनियम 03 मार्च, 2017 को किया गया विनियम एवं दायर की गई याचिका पर निर्देश।

अव्यवस्था, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा श्री विजय बहादुर यादव के विलुप्त उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (रत्न परिवर्तन के आधार पर निर्देश) निम्नानुसार, 1987 के अन्तर्गत निर्देश की गई याचिका पर

निर्णय

1. श्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता, भारतीय जनता पार्टी, विधान मण्डल दल द्वारा विनियम 04 जुलाई, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (रत्न परिवर्तन के आधार पर निर्देश) निम्नानुसार, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री विजय बहादुर यादव, सदस्य, विधान सभा के विलुप्त याचिका प्रस्तुत की गई है।

2. संशोधन में याचिका का यह निर्णय है कि विषय प्रकार विजय बहादुर यादव, गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के लिए वर्ष 2012 में विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अविष्कृत प्रत्यक्ष अवधि के भुए विषयक चुने गये थे तथा श्री विजय बहादुर यादव द्वारा संबंधित जनता पार्टी, विधान मण्डल दल के सदस्य बन गये। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय न्यायिक दल है।

3. याचिका का यह निर्णय है कि श्री विजय बहादुर यादव सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा का नाम उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा जारी दलीय सूची में भारतीय जनता पार्टी सदस्य के रूप में दर्ज है।

4. याचिका के अनुसार भारतीय विधानसभा की दसवीं अनुसूची के प्रस्त-2 (1) (ए) में यह उल्लिखित है कि भारतीय विधानसभा की सदन का सदस्य जिस पार्टी के विकेट पर निर्वाचित हुआ है उस पार्टी की सदस्यता स्थिरता से छोड़ देता है तो वह विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्देश हो जायेगा। याचिका के अनुसार भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल की बैठक विनियम 09 जुलाई, 2016 को बैठक द्वारा गई थी जिसमें विधान परिषद तथा राज्य सभा के चुनाव में सम्बन्धित मतदान हेतु निर्देश दिया गया था, किन्तु श्री विजय बहादुर यादव न बैठक में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्देश अपना किया।

5. याचिका का यह निर्णय कि विषय प्रकार भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता व मुख्य सचेतक द्वारा धीरते निर्देशों के विशेष अपने मतदानकार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के धीरत निर्देशों श्री विजय बहादुर यादव के विलुप्त मतदान किया गया। जिसे मैंने स्वयं देखा कि विषय प्रकार विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी के
योग्य स्वायत्त शक्ति भारतीय श्री बेबी दलित वर्ग के पक्ष में प्रथम वरीयता मत देकर भारतीय जनता पार्टी की धोखल नीति-निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया तथा उन्होंने समाजवादी पार्टी व मुस्लिम इमाम, उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक रूप से ध्वस्त की। श्री विजय बहादुर यादव का यह आचरण भारतीय जनता पार्टी के धोखल नीति के विरुद्ध है।

6. याची द्वारा यह कह गया कि श्री विजय बहादुर यादव ने दिनांक 13 जून, 2016 को गोरखपुर में एक प्रेस कार्यक्रम करके भारतीय जनता लोकसभा सभा की ही नीतियों व कार्यक्रमों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया जो कि समाचार पत्रों में दिनांक 14 जून, 2016 को छाया है उनका यह आचरण भारतीय जनता पार्टी के नीति के विरुद्ध है।

7. याची द्वारा यह भी कह गया है कि श्री विजय बहादुर यादव, विवादपूर्ण गोरखपुर ग्रामीण वक्ता शासन समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गये है तथा उनको 2017 में प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के आया विभाग सभा चुनाव में विवाद संदर्भ के लिए 323-गोरखपुर ग्रामीण से समाज बादी पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार 17 जून, 2016 को क्षमता किया है, जो समाचार पत्रों में दिनांक 18 जून, 2016 को प्रकाशित हुआ।

8. याची द्वारा यह भी कह गया है कि श्री विजय बहादुर यादव को उनके द्वारा किये गये भारतीय जनता पार्टी विरोधी कृतियों के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी, विवाद मण्डल दल से लेकर भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया।

9. याची द्वारा यह भी कह गया है कि विवादी श्री विजय बहादुर यादव, विवादपूर्ण गोरखपुर, ग्रामीण द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोधी कृतियों तथा आचरण से सम्पत्ति है कि यह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहिए। उनके उपरोक्त सभी कृतियों से भारतीय जनता पार्टी को लागू करके समाज बादी पार्टी में जाने तथा वहां से प्रथमवासी बनना दल परिवर्तन की परिधि में आते है।

10. अंत में श्री चुंबक भानु खना, याची द्वारा यह प्रतीक्षा की गयी है कि उत्तर प्रदेश विवाद सभा, सदस्य (दल परिवर्तन के आया पर निरहुआ) नियमावली, 1987 के प्रति-7 के अनुसार श्री बाबा जी स्वयं निर्णय लेते हुए श्री विजय बहादुर यादव, विवादी को भारत का सत्ता दीक्षा की दसवीं अनुसूची समाप्त अनुछेद, 191 (2) के अन्तर्गत विवाद सभा की सदस्यता से निरहुआ (अवस्था) क्षमता किया जाय एवं उनको मिलने वाले बेतन, भूती सहित सभी मुस्लिमों में तत्काल प्रभाव से रोकी जाय तथा इसके अंतरिक्ष दल परिवर्तन करने पर नियमावली निर्वाचित सदस्य भी दिया जाय।

11. याची के समस्त प्रतिकृतियों को उत्तर प्रदेश विवाद सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आया पर निरहुआ) नियमावली, 1987 के प्रतिकृतियों के अंतर्गत सत्ता किया गया है तथा याची के साथ याची का विरोधी के धोखल तथापि जो कि होता हुए एक शाब्दिक पत्र भी मूल्य सक्षम किया गया है। याची की ओर से प्रतिकृतियों के रूप में विवाद समाचार पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं। याची का वि संलग्न आखरिशित साधारण/उपाध्ययों की भी प्रमाणित किया गया है।

12. प्रस्तुत अंतर्गत याची को उत्तर प्रदेश विवाद सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आया पर निरहुआ) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्राधिकृत शही की घूर्ण करती हैरत उत्तर प्रदेश विवाद सभा सदस्य, (दल परिवर्तन के आया पर निरहुआ) नियमावली, 1987 के नियम-8 (3) के अन्तर्गत याची की प्रति एवं उसकी उपाध्ययों को सहित प्रतिकृतियाँ करने के लिए उन्हें अपना उत्तर/टिप्पणी प्रस्तुत करने का अनुरोध दिया गया।

13. विवादी श्री विजय बहादुर यादव द्वारा दिनांक 29.07.2016 को अपने पत्र के माध्यम से अपवाद, विवाद सभा से अनुरोध किया कि उनका स्वस्थ शास्त्री देखने के कारण उन्हें 02 सप्ताह का समय दिया जाय। गोवित अंतर्गत न्यायिक में मार्ग समय प्रदान किया गया।
14. The Speaker's order date for the impugned order passed on 16.08.2016 to the effect that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D'Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The
High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D’Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (1) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr.Wilfred D’Souza and Congress MLAs the controversy was confined to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice.”

“As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, the fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the
Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indeterminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred, cannot be accepted.”

23. भारत का संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची की समाहित किया गया था जिसका िक मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार जिस दल से प्रत्यावृत्ति िन्वांछित होता है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रति यदि वह आस्था अथवा प्रतिक्रिया फूड़कर करता है तो वह उपयुक्त नहीं है। जैसा कि एसे नायक के मामले में माननीय सचिवा न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका है। निरहुता प्रत्यक्ष अथवा प्रतिक्रिया रूप से आचरण के अवश्यक वर्तमान पर आस्थित हो सकता है, प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि श्री विजय बहादुर यादव को समाजवादी पार्टी द्वारा आंगत विधि विधि सम्बन्ध में फ़िरने के लिए प्रत्यावृत्ति घोषित किया जा चुका है। अतः श्री विजय बहादुर यादव से 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत सुसंगत प्रतिविधियों के अनुसार निरहुता से गृहित माना जायेगा।

24. उपर्युक्त प्रतिविधियों के अन्तर्गत से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य जिस दल से िन्वांछित हुआ है उसके अतिरिक्त दल के मामले में समीक्षित होता है तो वह निरहुता से गृहित होगा, चूंकि श्री विजय बहादुर यादव को समाजवादी पार्टी द्वारा आंगत अथवा आरक्षित प्रत्यावृत्ति आंगत विधि सम्बन्ध में हेतु िन्वांछित किया जा चुका है। अतः यह स्पष्ट है कि श्री विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी में समीक्षित हो गये हैं। व्यापक स्थिति में श्री विजय बहादुर यादव के मामले में 10वीं अनुसूची के प्रस्तर-2 (1) के प्रतिविधि आकृतित होते हैं तथुत उसी दिन तक से निरहुत माने जायेगे, जिस दिन तक से उनके समाजवादी पार्टी का प्रत्यावृत्ति आंगत विधि सम्बन्ध चुनाव के लिए िन्वांछित किया गया है।

25. प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि साथ के रूप में बाची द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों की प्रतिविधि प्रस्तुत की गयी है। माननीय सचिवा न्यायालय द्वारा भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा-2 दल परिवर्तन के आचरण पर निरहुता-(1) पैरा-4 और पैरा-5 के उपवंशों के अधीन रहते हुए, सदन को कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दल में निरस्त होना जिसमें-

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता से स्वीकार से छोड़ दी है या

(ख)------
जून के श्री विमल बहादुर यादव को समाजवादी पार्टी की ओर से आगमित विचार सभा में प्रस्तावी के रूप में थोपित किया जा चुका है, आतः यह माना जाएगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता प्राप्त कर ली है। वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्री विजय बहादुर यादव द्वारा स्वयं के अभिन्न राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को व्यापक दिखाई दिया है, आतः श्री यादव के सम्बन्ध में ‘भारत का संविधान’ की 10वीं अनुसूची में के प्रत्य-[(2)/(1)/(8)] में बर्तमान प्रबन्धक आकर्षित होते हैं एवं इसके फलस्वरूप श्री यादव 16वीं वित्त सभा की सदस्यता से उस दिनांक में निर्धारित माने जायेंगे जिस दिनांक में वह समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए।

26. यादों की ओर से माननीय समृद्ध व्यावसायिक द्वारा जी०विश्वनाथ प्रस्तुत माननीय अथवा, तामिलनाडु विधान सभा एवं अन्य में अपने पारित परिवर्तन पर अत्यधिक बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि किसी सदस्य के निपुंश मूल राजनीतिक दल से हो भी जाता है तो उसके विचारों में निरस्तरता आकर्षित हो सकती है यदि वह स्वयं से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता को लागू करने का आवरण करता है। माननीय समृद्ध न्यायालय द्वारा उक्त विधि सम्बन्ध में यह अवस्थान किया गया है कि मूल राजनीतिक दल से पृथक होने और उसके निपुंश के पारित की 10वीं अनुसूची के प्रयोजन हेतु यह माना जाएगा कि ऐसे सदस्य मूल राजनीतिक दल का ही सदस्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में जून के श्री विजय बहादुर यादव को प्रशासनिक धिक्के जाने उसके विचार में तथ्य अथवा सांख्य प्रस्तुत नहीं किया गया। आतः तकनीकी रूप से जी०विश्वनाथ के मामले में माननीय समृद्ध न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णयें आकर्षित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में याचिका में वर्तमान मामलों के अनुसार श्री विजय बहादुर यादव को अपने मूल राजनीतिक दल से निष्पादित किया गया है न कि प्रशासनिक धिक्के किया गया है। जून के श्री विजय बहादुर यादव को मूल राजनीतिक दल से सूचना रूप से पृथक अथवा निपुंश नहीं किया गया है। आतः प्रस्तुत मामले में जी०विश्वनाथ का निर्णय लाभ नहीं माना जाएगा, परंतु इस सम्बन्ध में यह भी दृष्टिकोण है कि जी०विश्वनाथ के निर्णय में निष्पादित संतुष्टि के अनुसार निष्पादित के पारित की 10वीं अनुसूची के उद्देश्यों के हेतु यह माना जाएगा कि श्री विजय बहादुर यादव मूल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से ही सम्मिलक है। उस सीमा तक जी०विश्वनाथ के मामले में माननीय समृद्ध न्यायालय द्वारा पारित की गयी विधि व्यवस्थाओं का अवलम्बन प्रस्तुत प्रकरण में लिया जा सकता है।

27. उपर्युक्त वर्तमान तथ्यों, विधिक प्रावधानों एवं समृद्ध न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री विजय बहादुर यादव दिनांक 17 जुलाई, 2016 से निरस्त माने जायेंगे, क्योंकि उसी दिनांक से उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता प्राप्त की तथा उनके समाजवादी पार्टी का प्रयासी धौपित किया गया। इस आशय का समाधान दिनांक 18 जुलाई, 2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि श्री विजय बहादुर यादव द्वारा अपने मूल राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से लागू दी गयी। वर्तमान स्थिति में यहीं यह उपविचारित समाचार है कि श्री विजय बहादुर यादव के सम्बन्ध में भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रस्तर-2 के प्रावधान आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरूप श्री विजय बहादुर यादव दिनांक 17 जुलाई, 2016 को निरस्त हो गये।
आदेश

श्री सुरेश कुमार खन्ना नेता, भारतीय जनता पार्टी, विधान मण्डल दल द्वारा प्रस्तुत की गयी याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्री विजय बहादुर यादव, सदस्य, उत्तर प्रदेश, विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण, विधान सभा क्षेत्र जिला गोरखपुर को भारत का संविधान की 10वीं अनुमूल्य के प्रस्तर-2 (1) (क) के अन्तर्गत दिनांक 17 जून, 2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निर्धारित गोष्टियाँ किया जाता है।

दिनांक 03 मार्च, 2017

माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आजा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 241(2)/विमो/संसदीय/106(स) /2016, तद्विनिर्धारित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यांश प्रस्तुत ---

1-महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव की महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,
2-माँ मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को माँ मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
3-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
4-श्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता, भारतीय जनता पार्टी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
5-समस्त माँ सरकार, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
6-श्री विजय बहादुर यादव, ग्राम-भरतलय बुजुर्ग, पौ0–रू शिविरी कालोनी, जनपद-गोरखपुर,
7-सचिव, भारत निर्बन्धन आयोग, निर्बन्धन सचिव, अशोक रोड, नई दिल्ली,
8-मुख्य निर्बन्धन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
9-प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश,
10-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,
11-प्रधान महालेखकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
12-सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
13-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
14-निदेशक, सूचना एवं जन समक्ष अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
15-महाराष्ट्र, राज्य सभा, नई दिल्ली,
16-महाराष्ट्र, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
17-प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त राज्य विधान सभा/परिषद,
18-अलवान्दकरी, गोरखपुर,
19-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारी गण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौधरी,
सर्वप्रथम सचिव।

पीएमएनपी0–एल0 281 विधान सभा (450)-06-03-2017-1000 प्रतिच्छेद-कुम्बूटर।